

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आव./ICDS/18/191459-479

जयपुर,दिनांक:

30-10-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
.....जिला.....

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों के अंतर्गत निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

नोन टी.एस.पी. परियोजनाओं के लिए
मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, अरांई	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
2	.. हुरडा	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
3	.. बालोतरा II	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.40	0.55
			राज्य निधि	0.45	1.20	1.65
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
4	.. बाडमेर ग्रा. II	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.25	0.40
			राज्य निधि	0.45	0.75	1.20
		04. चिकित्सा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.01	0.025	0.035
			राज्य निधि	0.03	0.075	0.078
5	.. तारानगर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.25	0.25	0.50
			राज्य निधि	0.75	0.75	1.50
			राज्य निधि-ब	0.30	0.30	0.60
6	.. बाडी	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	10.00	25.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
7	.. नवलगढ	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
		03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.15	0.30
			राज्य निधि	0.45	0.45	0.90
8	.. झोटवाडा	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
9	.. बस्सी	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	15.00	3.50	18.50
			राज्य निधि	45.00	10.50	55.50
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.50	0.05	0.55
10	.. औसियां	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.40	0.55
			राज्य निधि	0.45	1.20	1.65
11	.. भोपालगढ	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	10.00	25.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
12	.. पोकरण	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.10	0.25
			राज्य निधि	0.45	0.30	0.75
		राज्य निधि-ब	0.30	0.10	0.40	
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50

1	2	3	4	5	6	7
13	.. रियां	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	11.50	8.50	20.00
			राज्य निधि	34.50	25.50	60.00
14	.. मेडतासिटी	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	18.00	2.00	20.00
			केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50	15.00
		03. यात्रा व्यय	राज्य निधि	22.50	22.50	45.00
			केन्द्रीय सहायता	0.15	0.05	0.20
		04. चिकित्सा व्यय	राज्य निधि	0.45	0.15	0.60
			केन्द्रीय सहायता	0.01	0.01	0.02
15	.. देवगढ	20. वाहन संधारण	राज्य निधि	0.03	0.03	0.06
			केन्द्रीय सहायता	0.24	0.12	0.36
16	.. फतेहपुर ग्रा.	01. संवेतन	राज्य निधि	0.16	0.08	0.24
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	19.00	5.00	20.00
17	.. नीमकाथाना	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
18	.. पिण्डवाडा	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
			केन्द्रीय सहायता	7.50	3.50	11.00
			राज्य निधि	22.50	10.50	33.00
19	.. मावली	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	2.00	17.00
			केन्द्रीय सहायता	7.50	2.50	10.00
20	.. मालपुरा	01. संवेतन	राज्य निधि	22.50	7.50	30.00
			केन्द्रीय सहायता	7.50	2.00	9.50
21	.. दौसा II-लवाण	01. संवेतन	राज्य निधि	22.50	6.00	28.50
			केन्द्रीय सहायता	0.00	5.00	5.00
			राज्य निधि	0.00	15.00	15.00
		03. यात्रा व्यय	राज्य निधि-ब	0.00	5.00	5.00
			केन्द्रीय सहायता	0.00	0.10	0.10
		04. चिकित्सा व्यय	राज्य निधि	0.00	0.30	0.30
			केन्द्रीय सहायता	0.00	0.10	0.10
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि	0.00	0.30	0.30
			राज्य निधि-ब	0.00	0.40	0.40

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के परिपत्र क्रमांक 121369 दिनांक 15.9.16 के अनुसार कार्यालय व्यय मद अंतर्गत राशि 0.60 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम के नॉमर्स की सीमान्तर्गत व्यय सीमित रखना जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दि:

20-10-18

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/191490-1911

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।

2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार